पटना उच्च न्यायालय के समक्ष

2021 की आपराधिक अपील (एकलपीठ) सं. 1414

कांगली थाना कांड सं.-8 वर्ष-2017 जिला-पश्चिम चंपारण से उत्पन्न

==========

अली हक वल्द स्व मोहम्मद मूसा, निवासी- कालीबाग, घुसुकपुर, थाना- बेतिया टाउन (कालीबाग ओ. पी.), जिला-पश्चिम चंपारण।

.....अपीलार्थी

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थी के लिएः मोहम्मद अबू हैदर, अधिवक्ता

मो. अबू शजर, अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्री ज़ेयाउल होदा, एपीपी

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 — धारा 20(b)(ii)(c), 22(c) और 23(c) — अपीलकर्ता को उप-कमांडेंट द्वारा दी गई सूचना/विवरण के आधार पर सूचनाकर्ता द्वारा नारकोटिक ड्रग्स, अर्थात् चरास के साथ पकड़ा गया—सजा की सुनवाई के दौरान छह सरकारी गवाहों का परीक्षण किया गया—घटना स्थल पर कोई जब्ती सूची तैयार नहीं की गई —पुलिस स्टेशन पर उत्पादन-सहित जब्ती सूची तैयार की गई, इसमें आरोपी/अपीलकर्ता के

हस्ताक्षर नहीं हैं—स्वतंत्र गवाहों जो तलाशी-सह-जब्ती सूची पर हस्ताक्षर किए गए हैं, की जांच नहीं की गई है—1985 के अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज स्वीकारोक्ति बयान स्वीकार्य सबूत नहीं है—आरोपी/अपीलकर्ता के पास से मादक पदार्थ की रिकवरी अत्यधिक संदिग्ध है—आरोपित अपराध के मौलिक तथ्य अभियोजन द्वारा उचित संदेह से परे साबित नहीं किए गए—इसलिए, अधिनियम, 1985 की धारा 35 और धारा 54 के तहत प्रतिवादी/अपीलकर्ता के खिलाफ अनुमान नहीं लगाया जा सकता—इसलिए, अपीलकर्ता पर अपनी निर्दोषता साबित करने का बोझ डालने का कोई प्रश्न नहीं है—प्रतिवादी/अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन का मामला बुरी तरह विफल होता है—संदिग्ध सजा का निर्णय और सजा का आदेश रद्द किया जाता है—अपीलकर्ता सभी आरोपों से बरी किया जाता है।

(पैराग्राफ 53, 59 से 62)

(2010) 9 एससीसी 189; (2008) 16 एससीसी 417; (2010) 9 एससीसी 608; (2011) 11 एससीसी 653; (2020) 9 एससीसी 202; (2016) 3 एससीसी 379; 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 110; (1994) 3 एससीसी 299; (1999) 6 एससीसी 172; (2009) 8 एससीसी 539; 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 520 : एआईआर ऑनलाइन 2024 एससी 306; (2021) 4 एससीसी 1; अपराध अपील संख्या 3434 वर्ष 2024 — **भरोसा किया गया।**

==========

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सीएवी जजमेंट

दिनांक: 17-01-2025

वर्तमान अपील विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. अधिनियम, पश्चिम चंपारण, बेतिया द्वारा सत्र मुक़दमा संख्या 18 वर्ष 2017/सी.आई.एस. संख्या 23 वर्ष 2019 में पारित दोषसिद्धि के विवादित फैसले और सज़ा

के आदेश दिनांक 16.12.2020 के खिलाफ दायर की गई है, जो मुक़दमा कांगली थाना कांड संख्या 08 वर्ष 2017 से उत्पन्न होता है, जिस में एकमात्र अपीलार्थी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 (बी)(ii)(सी), 22 (सी) और 23 (सी) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है और 10 वर्ष के लिए कठोर कारावास से गुज़रने, तथा प्रत्येक अपराध के लिए अलग से रु. 1,00,000/- का जुर्माना देने के लिए, कुल राशि रु. 3,00,000/- और जुर्माना देने में चूक के मामले में, प्रत्येक चूक के लिए नौ महीने के लिए अतिरिक्त सरल कारावास से गुज़रने की सज़ा सुनाई गई है।

अभियोजन का मामला

2. अभियोजन पक्ष का मामला, जैसा कि सूचनाकर्ता एल. हेमो सिंह द्वारा प्रभारी अधिकारी, कांगली, पश्चिम चंपारण, बिहार को संबोधित लिखित रिपोर्ट से सामने आता है, यह है कि दिनांक 24.01.2017 को दिन के 12 बजे उन्हें डिप्टी कमांडमेंट से जानकारी मिली कि सफेद कुर्ता और पजामा पहने लगभग 60 वर्ष की आयु का 5 '4' की ऊंचाई वाला एक व्यक्ति सीमा स्तंभ संख्या 403/12 (49) से गुज़रने वाला है। जानकारी मिलने के बाद, उन्होंने एक टीम का गठन किया और 12:20 बजे उक्त सीमा स्तंभ की ओर आगे बढ़े जो रेल पटरियों से 500 मीटर दूर था। 2 बजे तक उक्त विवरण वाला व्यक्ति आया और जब वह रेलवे ट्रैक पार कर रहा था, तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। उन्होंने उस से पूछा कि क्या चाहते हैं कि उनकी तलाशी एक राजपत्रित अधिकारी के सामने ली जाए। लेकिन उस व्यक्ति ने यह कहते हुए अपना अपराध स्वीकार कर लिया कि उसके पास चरस के पाँच पैकेट हैं- एक पैकेट उसकी जेब में और चार पैकेट उसके थैले में। सभी पैकेट सेलो टेप से ढके हुए थे। मौके पर ही उन्होंने ज़ब्त की गई वस्तु को डिजिटल तराजू से तौला। उन्होंने एन.डी.पी.एस. डिटेक्शन टेस्ट किट से भी इसका परीक्षण कराया और पता चला कि वह वस्तु 2.4 कि. ग्रा. चरस थी। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अली हक़, वल्द स्व मोहम्मद मूसा, निवसी-

वार्ड सं. 04, कालीबाग, बेतिया, पश्चिम चंपारण बताया। उक्त घटना की जानकारी कार्यकारी कमांडमेंट श्री प्रवीण कुमार को फोन पर दी गई, जिस के बाद उन्होंने उन्हें एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने और जब्ती सूची तैयार करने का निर्देश दिया। के निर्देशानुसार अली हक़ को 2:15 बजे गिरफ्तार किया गया।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

3. सूचनाकर्ता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर कांगली थाना कांड संख्या 08 वर्ष 2017 की एफ.आई.आर. दिनांक 24.01.2017 को शाम 6:35 बजे एकमात्र अभियुक्त/अपीलार्थी अली हक़ के खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/20 (बी)(ii) बी के तहत दंडनीय अपराध के अंतर्गत दर्ज किया गया।

4. एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद, जाँच शुरू हुई और अपीलार्थी अली हक़ के खिलाफ एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 8/20 (बी)(ii) बी के तहत आरोप-पत्र संख्या 08 वर्ष 2017 दिनांक 30.03.2017 को दायर किया गया। इसके बाद, संज्ञान लिया गया और अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी), 22 (सी) और 23 (सी) के तहत आरोप निर्धारित किए गए। आरोपों को पढ़ा गया और उन्हें समझाया गया जिस पर उन्होंने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमा चलाने का दावा किया। इस प्रकार मुकदमा शुरू हुआ।

5. मुकदमे के दौरान, अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित पाँच गवाहों से का परीक्षण किया गया:

(1) **अभियोजन गवाह सं.** 1 - एल. हेमो सिंह (सूचनाकर्ता)

(2) **अभियोजन गवाह सं.** 2 - शांतुनु रॉय

(3) **अभियोजन गवाह सं.** 3 - अनुज कुमार

(4) **अभियोजन गवाह सं.** 4 - एस. गिल्बर्ट सिंह

(5) **अभियोजन गवाह सं.** 5 - शमीम अख्तर हवारी, आई. ओ.

(6) **अभियोजन गवाह सं.** 6 - सुधीर कुमार

6. अभियोजन पक्ष ने निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी दर्ज किएः

(i) **प्रदर्श 1** - अभियुक्त का कन्फेशनल स्टेटमेंट;

(ii) **प्रदर्श 2** - पेशी-सह-जब्ती सूची;

(iii) **प्रदर्श 2/ए** - पेशी-सह-जब्ती सूची में सूचनाकर्ता का हस्ताक्षर;

(iv) **प्रदर्श 3** - लिखित रिपोर्ट;

(v) **प्रदर्श 3/ए** - लिखित रिपोर्ट पर सूचनाकर्ता का हस्ताक्षर;

(vi) **प्रदर्श 4** - गिरफ्तारी ज्ञापन पर सूचनाकर्ता का हस्ताक्षर;

(vii) **प्रदर्श 5** - पाए गए सामान के प्रारूप पर गवाह के हस्ताक्षर;

(viii) **प्रदर्श 6** - औपचारिक एफ. आई. आर.

(ix) **प्रदर्श 7** - लिखित याचिका का अनुमोदन;

(x) **प्रदर्श 8** - एफ. एस. एल. रिपोर्ट

(xi) **वस्तु प्रदर्श** - साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत जब्त की गई वस्तु जो साक्ष्य के बाद वापस कर दी गई थी

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत वक्तव्य</u>

7. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन के बाद, अभियुक्त से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई, जिस में उसे अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में आने वाली आपत्तिजनक परिस्थितियों का सामना कराया गया, ताकि उसे उन परिस्थितियों को स्पष्टीकरण देने का अवसर मिल सके। इस परीक्षण के दौरान, उस ने स्वीकार किया कि उस ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य सुने थे। हालाँकि, उस ने किसी भी परिस्थिति पर स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन सभी आरोपों से इनकार किया और निर्दोष होने का दावा किया।

8. हालाँकि, अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपने बचाव में किसी भी गवाह क परीक्षण नहीं किया।

विचारण न्यायालय का निष्कर्ष

9. विद्वत विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य का अवलोकन और पक्षों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, विवादित निर्णय पारित किया जिस के तहत एकमात्र अपीलार्थी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 20 (बी)(ii)(सी), 22 (सी) और 23 (सी) के तहत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया है।

10. मैंने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए ए. पी. पी. को सुना है।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुति

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का विवादित निर्णय और सज़ा का आदेश कानून या तथ्यों की नज़र में टिकने योग्य नहीं हैं। विचारण न्यायालय ने अपने न्यायिक विवेक का उपयोग नहीं किया है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की ठीक से सराहना करने में विफल रहा है। उन्होंने दावा किया है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ अपने मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में विफल रहा है।

12. उन्होंने आगे कहा कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 35 और 54 के वैधानिक प्रावधान भी अभियोजन पक्ष की मदद नहीं करते हैं। अधिनियम की धारा 35 और 54 के तहत उपधारणा करने के लिए, अभियोजन पक्ष को पहले अभियुक्त के खिलाफ सभी उचित संदेहों से परे कथित अपराध के मूलभूत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता होती है। मगर अभियोजन पक्ष अभिलेख पर कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य के अनुसार अपीलार्थी के खिलाफ अपना मामला साबित करने में बुरी तरह विफल रही है।

13. अपने दावे को साबित करने के लिए, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम एक कठोर दंडात्मक कानून है जो कठोर दंड पारित करता है। इसलिए, विधायिका ने किसी भी व्यक्ति के झूठे निहितार्थ के खिलाफ सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए हैं। एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 42 और 50 में तलाशी और जब्ती के संबंध में अनिवार्य प्रक्रिया का प्रावधान है, लेकिन इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा इसका पालन नहीं किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा एन.डी.पी.एस. अधिनियम के तहत जारी स्थायी निर्देश 1/1988 और स्थायी आदेश संख्या 2/1988 का भी उल्लेख किया है, जो तलाशी, जब्ती और नमूने लेने और प्रतिबंधित पदार्थ की रासायनिक जांच के लिए प्रक्रिया प्रदान करता है। लेकिन इन स्थायी आदेशों में दिए गए नियमों का भी अभियोजन पक्ष द्वारा पालन नहीं किया गया है। इसलिए, अभियुक्त/अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन का मामला संदिग्ध और अविश्वसनीय हो गया है।

14. उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा मुकदमे के दौरान तलाशी और जब्ती के संबंध में किसी भी स्वतंत्र गवाह का परीक्षण नहीं किया गया है।

15. उन्होंने आगे कहा कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत कानूनी आवश्यकता के बावजूद, अपीलार्थी को राजपत्रित अधिकारी/मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के अपने अधिकार से अवगत नहीं कराया गया था।

16. उन्होंने आगे कहा है कि जब्त किए गए सामान को घटना स्थल पर सील नहीं किया गया था, न ही जब्ती सूची तैयार करने के गवाह के रूप में अपीलार्थी के हस्ताक्षर जब्ती सूची पर हैं। इसके अलावा, जब्त किए गए सामान को मामले के उचित पहचान विवरण के साथ पैक और सीलबंद स्थिति में जब्ती के 48 घंटों के भीतर विशेष रूप से निर्दिष्ट गोदाम में जमा किया जाना आवश्यक है। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि जब्त किया गया सामान कब और कहाँ जमा किया गया था।

17. इसके अलावा, घटना स्थल पर नमूना नहीं लिया गया था, न ही कोई मजिस्ट्रेट नमूना लेने में शामिल थे। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जब्त किए गए माल के पांच पैकेटों से नमूना कैसे लिया गया। इसके अलावा, जब्ती के 72 घंटों के भीतर नमूने को प्रयोगशाला में भेजा जाना आवश्यक है, जबकि, नमूना जब्ती के छह दिनों के बाद 31.01.2017 को लिया गया था।

18. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अपीलार्थी के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किया गया था। इसलिए, अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन का मामला अकेले इसी आधार पर विफल हो जाता है। कथित स्वीकारोक्ति भी स्वीकार्य नहीं है। अतः अपीलार्थी दोषमुक्त किए जाने का हकदार है।

राज्य की ओर से प्रस्तुति

19. हालांकि, राज्य के लिए विद्वान एपीपी ने दोषसिद्धि और सज़ा के आदेश के विवादित फैसले का ज़ोरदार बचाव करते हुए कहा है कि उनमें कोई अवैधता या कमी नहीं है। अपीलार्थी के सचेत कब्जे से 2 कि. ग्रा. और 400 ग्राम चरस बरामद किया गया है और इसलिए एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 35 के तहत अपीलार्थी की दोषी मानसिक स्थिति की उपधारणा उत्पन्न होती है और एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 54 के तहत

प्रतिबंधित पदार्थ के अवैध कब्जे के अपराध की उपधारणा लागू होती है और यह बोझ अपीलार्थी पर था कि वह कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य की उपधारणा का खंडन करे। लेकिन अपीलार्थी द्वारा अपने *मेंस रिया* और प्रतिबंधित पदार्थ के अवैध कब्जे की उपधारणा का खंडन करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया गया है।

20. वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिबंधित पदार्थ की तलाशी, जब्ती और नमूने कानून के अनुसार किए गए हैं और इसमें कोई अवैधता शामिल नहीं है।

<u>एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 और 54 का अर्थ और तात्पर्य।</u>

21. इस प्रकार, इस न्यायालय के विचार के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 और 54, जो उपधारणा का प्रावधान करती हैं, का क्या प्रभाव है। क्या ये प्रावधान अभियोजन पक्ष को सभी उचित संदेहों से परे अभियुक्त के खिलाफ अपने मामले को साबित करने से भारमुक्त करते हैं? क्या अभियोजन पक्ष द्वारा कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा कथित अपराध के मूलभूत तथ्यों को भी साबित किए बिना अभियुक्त पर अपनी बेगुनाही साबित करने का बोझ डाला जा सकता है?

22. यह प्रश्न *रेस इंटेग्रा या अछूता प्रश्न* नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई अवसरों पर एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 35 और 54 के तहत प्रदान की गई धारणाओं के अर्थ व तात्पर्य और आपराधिक मुकदमे पर उनके प्रभाव की व्याख्या की है।

23. हालाँकि, इससे पहले कि मैं प्रासंगिक न्यायिक उदाहरणों का उल्लेख करूं, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 और 54 के वैधानिक प्रावधानों का विज्ञापन करना उचित होगा, जो निम्नानुसार हैंः

"धारा 35. आपराधिक मानसिक दशा की उपधारणा।

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के किसी अभियोजन में, जिस में अभियुक्त की मानसिक दशा उपेक्षित है, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त की ऐसी मानसिक दशा है किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करना एक प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के बारे में उसकी वैसी मानसिक दशा नहीं थी।

स्पष्टीकरण- इस धारा में "आपराधिक मानसिक दशा" के अंतर्गत आशय, हेतु, किसी तथ्य का ज्ञान और किसी तथ्य में विश्वास करनी का कारण है।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई तथ्य केवल तभी साबित किया गया कहा जाता है जब न्यायालय युक्तियुक्त संदेह से यह विश्वास करे कि वह तथ्य विद्यमान है और केवल इस कारण नहीं कि उसकी विद्यमानता अधिसंभाव्यता की प्रबलता के कारण सिद्ध होती है।

54. अवैध वस्तुओं के कब्जे से उपधारणा-- इस आधिनियम के अधीन विचारणों में, जब तक की तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, यह उपधारणा की जा सकेगी की अपराधी ने-

(क) किसी ऐसी स्वापक औषधी या मन:प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ;

(ख) किसी ऐसी भूमि पर, जिस पर उसने खेती की है, उगे हुए किसी ऐसे अफीम पोस्त, कैनेबिस के पौधे या कोका के पौधे;

(ग) किसी स्वापक औषधी या मन:प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण के लिये विशेष रूप से परिकल्पित किसी साधित्र या विशेष रूप से अनुकूलित बर्तनों के किसी ऐसे वर्ग; या

(घ) किसी ऐसी वस्तु, जिस पर किसी स्वापक औषधी या मन:प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ के विनिर्माण से संबंधित कोई प्रसंस्करण किया गया है ऐसी वस्तु से बचे किसी ऐसे अवशिष्ट, जिस से किसी स्वापक औषधी या मन:प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ का विनिर्माण किया गया है, की बाबत, जिसके कब्जे के बारे में वह समाधानप्रद रूप से हिसाब देने में असफल रहता है, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है।"

24. बाबू बनाम केरल राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 189 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि निर्दोषता का अनुमान एक मानवाधिकार है, हालांकि वैधानिक प्रावधानों द्वारा अपवाद बनाया जा सकता है। लेकिन किसी विशेष कानून के तहत अभियुक्त के अपराध के ऐसे वैधानिक अनुमान को भी संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 में निहित तर्कसंगतता और स्वतंत्रता की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

25. नूर आगा बनाम पंजाब राज्य, (2008) 16 एस. सी. सी. 417 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

"**58.** अधिनियम की धारा 35 और 54, निस्संदेह, अभियुक्त की दोषपूर्ण मानसिक दशा के संबंध में उपधारणा करती है और इस संबंध में सबूत का भार भी अभियुक्त पर डालती है; लेकिन उक्त प्रावधान के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि उपधारणा अभियुक्त के खिलाफ मुकदमे में केवल उस स्थिति में काम करेगी जब उस में निहित परिस्थितियाँ पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अभियोजन पक्ष पर एक प्रारंभिक बोझ होता है और यह बोझ तभी बदलता है जब प्रारंभिक बोझ संतुष्ट हो जाता है। फिर भी, अभियुक्त के लिए अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आवश्यक सबूत का मानक अभियोजन पक्ष के बराबर नहीं है। जहां अभियोजन पक्ष पर अभियुक्त के अपराध को साबित करने

के लिए आवश्यक सबूत का मानक "सभी उचित संदेह से परे" है, लेकिन यह अभियुक्त पर "संभावना की प्रधानता" है। यदि अभियोजन पक्ष अधिनियम की धारा 35 की कठोरता को आकर्षित करने के लिए मूलभूत तथ्यों को साबित करने में विफल रहता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त के पास प्रतिबंधित पदार्थ का अधिकार है।"

(ज़ोर दिया गया)

26. धर्मपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 608 के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

"**15.** उपरोक्त के एक सादे पठन से यह स्पष्ट है कि यह एक कानूनी कल्पना उत्पन्न करता है और यह उपधारणा करता है कि अवैध वस्तुओं के कब्जे वाले व्यक्ति ने अपराध किया है यदि वह कब्जे के लिए संतोषजनक रूप से जवाब देने में विफल रहता है। कब्ज़ा एक मानसिक दशा है और अधिनियम की धारा 35 दोषी मानसिक दशा को वैधानिक मान्यता देती है। इस में तथ्य का ज्ञान शामिल है। इसलिए, कब्जे को उसके संदर्भ में समझना होगा और जब इस पर परीक्षण किए जाने पर हम पाते हैं कि अपीलार्थी अफीम के कब्जे के लिए संतोषजनक रूप से जवाब देने में विफल रहे हैं।

16. एक बार कब्जा स्थापित हो जाने के बाद अदालत यह मान सकती है कि आरोपी की मानसिक स्थिति दोषपूर्ण थी और उसने अपराध किया है.....

(ज़ोर दिया गया)

27. भोला सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2011) 11 एस. सी. सी. 653 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

> "**10.** अधिनियम की धारा 54 के संदर्भ में कब्जे के प्रश्न और धारा 35 के तहत उपधारणा पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने *नूर आगा बनाम पंजाब राज्य* [(2008) 16 एस. सी. सी. 417 में धारा 35 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि चूंकि इस धारा ने किसी अभियुक्त पर भारी विपरीत बोझ डाला है, इसलिए इसे और अन्य संबंधित धाराओं के लागू होने की शर्त है कि तथ्यों के माध्यम से यह स्पष्ट किया जाए कि ये धाराएं लागू होती हैं और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रारंभिक बोझ के तहत मूलभूत तथ्यों को साबित करने के बाद ही धारा 35 लागू होगी।"

(ज़ोर दिया गया)

28. गंगाधर बनाम एम. पी. राज्य, (2020) 9 एस. सी. सी. 202 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

> "**8.** अभियुक्त के खिलाफ धारा 35 के तहत दोषी होने की उपधारणा और अधिनियम की धारा 54 के तहत कब्जे को संतोषजनक रूप से समझाना, खंडनीय हैं। यह अभियोग को सभी उचित संदेह से परे साबित करने के अभियोजन पक्ष के दायित्व को समाप्त नहीं करता है। सबूत के विपरीत बोझ के साथ उपधारणा का प्रावधान, संभावना की प्रधानता के आधार पर दोषसिद्धि को मंजूरी नहीं देता है। धारा 35 (2) में प्रावधान है कि एक तथ्य को साबित तभी माना सकता है जब उसे उचित संदेह से परे स्थापित किया गया है न कि संभावना की प्रधानता पर।"

(ज़ोर दिया गया)

29. इस प्रकार, यह सामने आता है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 35 और 54 के बावजूद, अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खिलाफ कथित अपराध के मूलभूत तथ्यों को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने के अपने दायित्व से मुक्त नहीं है और अभियोजन पक्ष द्वारा इस तरह के दायित्व के निर्वहन के बाद ही सबूत की जिम्मेदारी अभियुक्त पर स्थानांतरित हो जाती है कि वह प्रायिकता की प्रधानता के मानक से अनुमान का खंडन करे, न कि सभी उचित संदेहों से परे मानक पर।

<u>उचित संदेह से परे सबूत क्या है</u>

30. अब सवाल यह है कि उचित संदेह से परे सबूत क्या है? यह प्रश्न भी *रेस इंटेग्रा या अछूता प्रश्न* नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर समझाया गया है और यह माना गया है कि उचित संदेह से परे प्रमाण आवश्यक रूप से गणितीय सटीकता का एक पूर्ण प्रमाण नहीं है। केवल इतनी संभावना की स्थापना की आवश्यकता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति इसके आधार पर मुद्दे में तथ्यों के अस्तित्व में विश्वास कर सके। अभियुक्तों को सभी संदेहों का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, बल्कि केवल उचित संदेहों का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। हर हिचकिचाहट, आशंका और संदेह उचित संदेह नहीं हैं। इस संबंध में निम्नलिखित निर्णयों को संदर्भित किया जा सकता हैः

(i) **काली राम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य**; (1973) 2 एस. सी. सी. 808

(ii) **धर्म दास वाधवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (1974) 4 एससीसी 267

(iii) **सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम डी. भूरमल**, (1972) 2 एससीसी 544

(iv) **नरेंद्र कुमार बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)**, (2012) 7 एससीसी 171

(v) **शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (1973) 2 एससीसी 793

(vi) **दिलावर हुसैन बनाम गुजरात राज्य**, (1991) 1 एससीसी 253

<u>एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42,50 और 52ए और स्थायी आदेशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया।</u>

31. चूंकि दलों ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42,50 और 52ए के प्रावधानों के उल्लंघन और केंद्र सरकार द्वारा इसके तहत जारी स्थायी आदेशों के संबंध में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियाँ दी हैं, इसलिए इन प्रावधानों और उन पर न्यायिक पूर्वजों के विज्ञापन के लिए यह प्रासंगिक है।

32. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 इस प्रकार हैः

"**धारा 42 वारंट या प्राधिकरण के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति--** (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केंद्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का, जिसके अंतर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी हैं, कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार के राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद-शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, <u>यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया गया है, या कोई ऐसी दस्तावेज या अन्य</u>

वस्तु, जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपरहण के लिए दायी हैं, किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच-

(क) किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा;

(ख) प्रतिरोध की दशा में, किसी द्वार को तोड सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा;

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी वस्तु तथा किसी अन्य वस्तु और किसी जीवजंतु या प्रवहण को, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने के कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपरहण के लिए दायी है, अभिगृहित कर सकेगा; और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि वह उचित समझे तो, उसे गिरफ्तार कर सकेगा:

परंतु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन विनिर्मित औषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए दी गई, अनुज्ञप्ति के धारक के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप-निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो:

परंतु यह और कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने के कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार, साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में, अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जहां कोई अधिकारी, किसी इत्तिला के उपधारा (1) के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को उसके परंतुक के अधीन लेखबद्ध करता है, वहां वह उसकी प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को 72 घंटे के भीतर भेजेगा।"

(ज़ोर दिया गया)

33. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 इस प्रकार हैः

"धारा 50. वे शर्तें जिन के अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी- (1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के अपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना

अनावश्यक विलम्ब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकेगा जब तक वह उसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष ऐसा कोई व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा किंतु अन्यथा यह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी।

(5) जब धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है, उसके कब्जे में किसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से जिसकी तलाशी ली जानी है अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 में उपबंधित है।

(6) उपधारा (5) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करेगा, जिसकी वजह से ऐसी तलाशी की

आवश्यकता पडी थी और उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदधारी को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा।"

(ज़ोर दिया गया)

34. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52ए निम्नानुसार हैः

"धारा 52ए. अधभगृहीत स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों का व्ययन- (1) केंद्रीय सरकार, किन्हीं स्वापक औषधीयों, मन:प्रभावी पदार्थों नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के संबंध में, परिसंकटमय प्रकृति, चोरी के लिए अतिसंवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, समुचित भंडारण स्थान की विमषता या किसी अन्य सुसंगत महत्व को ध्यान में रखकर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों अथवा स्वापक औषधियों का वर्ग, मन:प्रभावी पदार्थों का वर्ग, नियंत्रित पदार्थों का वर्ग या हस्तांतरणों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका, उनके अभिग्रहण के पश्चात, यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो सरकार, समय-समय पर, इसमें इसके पश्चात विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात अवधारित करे, व्ययन किया जाएगा।

(2) जहां कोई [स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों] को अभीगृहित कर लिया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी [स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों] की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें उनके वर्णन, क्वालिटी, परिमाण, पैक करने के ढंग, चिह्नांकन, संख्यांक या ऐसे स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या

हस्तांतरणों या पैकिंग को, जिन में वे पैक किए गए हैं, पहचान करने वाली अन्य विशिष्टियां, उद्भव का देश और अन्य विशिष्टियों से संबंधित ऐसे अन्य ब्यौरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों की पहचान के लिए सुसंगत समझे और किसी मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा, अर्थात-

(क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या

(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों या हस्तांतरणों के फोटोचित्र लेने और ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुग्या देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशक्य शीघ्र ऐसा आवेदन मंज़ूर करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका [स्वापक औषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों] के फोटोचित्रों और नमूनों की सूचि को, ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य मानेगा।

(ज़ोर दिया गया)

35. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा जारी किए गए **स्थायी निर्देश 1/1988** का प्रासंगिक पैरा आदेश इस प्रकार हैः-

"**विषयः** ज़ब्त नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ प्रक्रिया- निकालना, भंडारण, परीक्षण, निपटान और नमूनों का आहरण- संबंधित

.....

1.4 यदि ज़ब्त की गई नशीली दवाएं पैकेजों/कंटेनरों में पाई जाती हैं, तो पहचान के उद्देश्य से उन्हें क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए। यदि दवाएं खुली पाई जाती हैं तो उन्हें एक समान आकार के इकाई पात्रों में पैक करने की व्यवस्था की जानी चाहिए और प्रत्येक पैकेज/पात्र को क्रम संख्या दी जानी चाहिए। क्रम संख्या के अलावा, सकल और शुद्ध वज़न, ड्रग का विवरण और ज़ब्ती की तारीख हमेशा पैकेजों पर इंगित की जानी चाहिए। यदि पैकेज पर उपरोक्त जानकारी दर्ज करने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है, तो ज़ब्त करने वाले अधिकारी की मुहर के साथ एक कार्ड बोर्ड लेबल लगाया जाना चाहिए और इस कार्ड बोर्ड लेबल पर उपरोक्त विवरण दर्ज किया जाना चाहिए।

1.5 **नमूना निकालने का स्थान और समयः**

ज़ब्त नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस से नमूने, बरामद होने के स्थान पर, डुप्लिकेट में, पंच गवाह और वह व्यक्ति जिसके कब्जे से दवा बरामद की गई है की उपस्थिति में लिए जाने चाहिए, और इसका उल्लेख हमेशा मौके पर बनाए गए पंचनामे में किया जाना चाहिए।

1.6 **नमूने में विभिन्न दवाओं की आवश्यक मात्रा:**

अफीम, गांजा और चरस/हशीश के मामलों को छोड़कर, जहां रासायनिक परीक्षण के लिए प्रत्येक मामले में 24 ग्राम की मात्रा की आवश्यकता होती है, रासायनिक परीक्षण के लिए प्रत्येक नमूने में ली जाने वाली मात्रा सभी मादक दवाओं और मादक पदार्थों के संबंध में 5 ग्राम होनी चाहिए। समान मात्रा डुप्लिकेट नमूने के लिए भी ली जानी चाहिए। पैकेजों/पात्रों में ज़ब्त की गई दवाओं को अच्छी तरह से मिलाया जाना चाहिए ताकि डुप्लिकेट में नमूना लेने से पहले इसे सजातीय और प्रतिनिधि बनाया जा सके।

1.7 **प्रत्येक बरामदगी के मामले में लिए जाने वाले नमूनों की संख्या:**

ए) एकल पैकेज/पात्र की ज़ब्ती के मामले में डुप्लिकेट में एक नमूना तैयार किया जाना है।

आम तौर पर एक से अधिक पैकेज/कंटेनर की ज़ब्ती के मामले में प्रत्येक पैकेज/कंटेनर से डुप्लिकेट में एक नमूना लेने की सलाह दी जाती है।

बी) हालांकि, जब एक साथ ज़ब्त किए गए पैकेज/कंटेनर समान आकार और वज़न के हों, जिनमें समान निशान हों और प्रत्येक पैकेज की वस्तु यू.एन. किट द्वारा रंग परीक्षण पर समान परिणाम दें, जो निर्णायक रूप से इंगित करती है कि पैकेज सभी मामलों में समान हैं/पैकेजों/कंटेनर को सावधानीपूर्वक 10 पैकेजों/कंटेनरों के समूहों में रखा जाए। गांजा और हशीश की ज़ब्ती के मामले में पैकेजों/कंटेनरों को ऐसे 40 पैकेजों/कंटेनरों में रखा जाए। ऐसे पैकेजों/पात्रों के प्रत्येक समूह के लिए डुप्लिकेट में एक नमूना लिया जाए।

सी) इस तरह के ढेर बनाने के बाद, हशीश और गांजे के मामले में 20 से कम पैकेज/कंटेनर बचे रहते हैं और अन्य दवाओं के मामले में 5 से कम पैकेज/कंटेनरों बचे रहते हैं, तो किसी गुच्छे की आवश्यकता नहीं होगी और कोई नमूना लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

डी) यदि अन्य दवाओं और पदार्थों के मामले में यह 5 या उससे अधिक है और गांजा और हशीश के मामले में 20 या उससे अधिक है, तो ऐसे शेष पैकेज/कंटेनरों के लिए डुप्लिकेट में एक और नमूना लिया जाए।

ई) एक विशेष लॉट से डुप्लिकेट में एक नमूना लेते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिनिधि दवा को उस लॉट के प्रत्येक पैकेज/कंटेनर से समान मात्रा में लिया जाए और एक वस्तु संपूर्ण बनाने के लिए एक साथ मिलाया जाए जिससे उस लॉट के लिए नमूने लिए जाएं।

.....

1.8 पैकेजों/पात्रों का क्रमांकण

पैकेजों/कंटेनरों की पहचान की विस्तृत प्रक्रिया के अधीन, जैसा कि पैरा 1, 4 में इंगित किया गया है, प्रत्येक पैकेज/कंटेनर को सुरक्षित रूप से सील किया जाना चाहिए और पहचान पर्ची में उनमें से प्रत्येक पर ऐसे स्थान पर और इस तरह से चिपकाया/संलग्न किया जाना चाहिए जिससे पर्ची पर निशान और संख्या आसानी से मिट न जाए। जहाँ एक से अधिक नमूने लिए जाते हैं, वहाँ प्रत्येक नमूने को क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए और मूल और डुप्लिकेट दोनों नमूनों को एस-एल, एस-2, एस-3 आदि के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। इसमें पैकेजों की क्रम संख्या होनी चाहिए और पी-1, 2, 3, 4 आदि के रूप में चिह्नित होनी चाहिए।

1.9 इस बात पर ज़ोर देने की आवश्यकता नहीं है कि सभी नमूनों को अभियुक्त, पंचनामा गवाहों और ज़ब्त करने वाले अधिकारी की उपस्थिति में लिया जाना और सील किया जाना चाहिए और उन सभी को प्रत्येक नमूने पर अपने हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होगी। ज़ब्त करने वाले अधिकारी की आधिकारिक मुहर भी लगाई जानी चाहिए। यदि वह व्यक्ति जिसकी हिरासत से दवाएं बरामद की गई हैं, नमूने पर अपनी खुद की मुहर लगाना चाहता है, तो प्रत्येक नमूने के मूल और डुप्लिकेट दोनों पर इसकी अनुमति दी जा सकती है।

1.10 नमूनों की पैकिंग और सीलिंगः

डुप्लिकेट में नमूना ऊष्म सीलबंद वाले प्लास्टिक के थैलों में सुविधाजनक और सुरक्षित तरीके से रखा जाना चाहिए। प्लास्टिक के थैले के पात्र को कागज के लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिसे ठीक से सील किया जाना चाहिए। इस तरह के मुहरबंद लिफाफे को मूल और डुप्लिकेट के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए। दोनों लिफाफों पर उस पैकेज(ओं)/पात्र(ओं) का क्रम संख्या भी होना चाहिए जिससे नमूना लिया गया है। नमूना वाले डुप्लिकेट लिफाफे में परीक्षण ज्ञापन का संदर्भ भी होना चाहिए। मुहरें पढ़ने योग्य होनी चाहिए। इस लिफाफे को परीक्षण ज्ञापन के साथ दूसरे लिफाफे में रखा जाना चाहिए जिसे सील किया जाना चाहिए और "गुप्त-दवा नमूना/परीक्षण ज्ञापन" चिह्नित किया जाना चाहिए जिसे संबंधित रासायनिक प्रयोगशाला में भेजा जाना चाहिए।

.....

1.12. परीक्षण ज्ञापन

ज़ब्त की गई दवाओं या पदार्थों के नमूनों को एक परीक्षण ज्ञापन की ढकन में संबंधित प्रयोगशालाओं में भेजा जाना चाहिए जो एन. सी. बी.-I के प्रारूप में तीन प्रतियों में तैयार किया जाना चाहिए। यह परीक्षण ज्ञापन ज़ब्ती को प्रभावित करने वाली प्रत्येक इकाई के लिए क्रमिक रूप से क्रमांकित किया जाएगा। ज़ब्त करने वाला अधिकारी सावधानीपूर्वक परीक्षण ज्ञापन के कॉलम 1 से 8 को भरेगा और आधिकारिक मुहर के साथ अपने हस्ताक्षर करेगा। परीक्षण ज्ञापन की मूल और प्रति नमूनों के साथ संबंधित प्रयोगशाला में भेजी जानी चाहिए। ज़ब्त करने वाले अधिकारी की केस फाइल में तीन प्रतियों रखा जाएगा।

1.13 प्रयोगशाला में नमूना भेजने के लिए विधि और समय सीमा।

नमूनों को या तो बीमित डाक द्वारा या इस उद्देश्य के लिए विधिवत अधिकृत विशेष संदेशवाहक के माध्यम से भेजा जाना चाहिए। पंजीकृत डाक या साधारण डाक द्वारा नमूने भेजने का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। किसी भी कानूनी आपत्ति से बचने के लिए ज़ब्ती के 72 घंटे के भीतर नमूने प्रयोगशाला में भेजे जाने चाहिए।"

(ज़ोर दिया गया)

36. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा जारी किए गए **स्थायी आदेश सं. 2/1988** का प्रासंगिक पैरा इस प्रकार हैः-

"विषयः ज़ब्त मादक पदार्थों और ड्रग्स की प्राप्ति, अभिरक्षा, भंडारण और निपटान।

.....

2. ज़ब्त मादक पदार्थों के प्रेषण, पारगमन, प्राप्ति, सुरक्षित अभिरक्षा, भंडारण, उचित लेखांकन, निपटान और नाश के महत्व को देखते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने केंद्रीय और राज्य मादक पदार्थ कानून प्रवर्तनों द्वारा उपरोक्त कार्यों को विनियमित करने के लिए एक समान प्रक्रिया विकसित की है।

3.1 सभी दवाओं को ठीक से वर्गीकृत किया जाना चाहिए, सावधानीपूर्वक तौला जाना चाहिए और ज़ब्ती के स्थान पर नमूना लिया जाना चाहिए।

3.2 सभी पैकेजों/पात्रों को क्रमबद्ध रूप से क्रमांकित किया जाना चाहिए और नमूने लेने के लिए लॉट में रखा जाना चाहिए। ऊपर निर्दिष्ट स्थायी क्रम सं. 1/88 में निर्धारित प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन किया जाना चाहिए।

3.3 नमूना लेने के बाद, ऐसे पैकेजों/पात्रों की विस्तृत सूची पंचनामा के साथ संलग्न करने के लिए तैयार की जानी चाहिए। मूल, लपेटन को साक्ष्य के उद्देश्यों के लिए भी संरक्षित किया जाना चाहिए।

3.4 पंचनामा पूरा होने के बाद, दवाओं को ऊष्म सील प्लास्टिक की थैलियों में पैक किया जाना चाहिए। बड़ी मात्रा में गांजे के लिए, प्लास्टिक के थैलों के बजाय, बोरों का भी उपयोग किया जा सकता है जहां वे आसानी से उपलब्ध नहीं हों।

3.5 केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां, जिन्हें नए कानून के तहत जांच की शक्तियां दी गई हैं, उन्हें भंडारण उद्देश्यों के लिए अपने गोदामों को विशेष रूप से नामित करना चाहिए। गोदामों का चयन उनकी सुरक्षा, दृष्टिकोण, अदालतों के साथ जुड़ाव आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

3.6 सभी दवाओं को हमेशा डबल-लॉकिंग प्रणाली के साथ प्रदान किए गए सेफ और वॉल्ट में संग्रहीत किया जाना चाहिए।

3.7 नियम के रूप में, ऐसे गोदामों को संबंधित प्रवर्तन एजेंसी के राजपत्रित अधिकारी की पूर्ण देखरेख और प्रभार के तहत रखा जाना चाहिए, जिन्हें यथासंभव अत्यधिक सावधानी, सुरक्षा और व्यक्तिगत पर्यवेक्षण करना चाहिए। ऐसे अधिकारी सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, राजस्व खुफिया निदेशालय, केंद्रीय मादक पदार्थ ब्यूरो, मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो, सी. बी. आई., बी. एस. एफ. आदि विभागों में अधीक्षक के पद से नीचे नहीं होने चाहिए, केंद्रीय एजेंसियां और राज्यों और यू. टी. प्रवर्तन एजेंसियों में राज्य उत्पाद शुल्क के पुलिस अधीक्षक, राजस्व के नायब तहसीलदार, औषधि नियंत्रण विभाग के औषधि निरीक्षक आदि के प्रभारी स्टेशन हाउस अधिकारी/अधिकारी होने चाहिए। उन्हें व्यक्तिगत रूप से दवाओं की सुरक्षा के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।

3.8 प्रत्येक ज़ब्त करने वाले अधिकारी को ऐसी दवाओं की जब्ती के 48 घंटों के भीतर गोदाम में पूरी तरह से पैक की गई और अपनी मुहर के साथ सील की गई दवाओं को जमा करना चाहिए, जिसमें एक अग्रेषण ज्ञापन निम्न को संकेतित करे।

(1) अपराध के अनुसार एन. डी. पी. एस. अपराध सं. और नए कानून (एल. ओ. एन. डी. पी. एस. अधिनियम) के अंतर्गत अभियोजन पक्ष पंजी।

(2) अभियुक्तों के नाम

(3) कैमस्कैन द्वारा स्कैन किया गया

(4) सीलबंद पैकेजों/पात्रों और अन्य वस्तुओं में दवाओं का विवरण, यदि कोई हो।

(5) प्रत्येक पैकेज/कंटेनर में दवा-वार मात्रा

(6) पैकेजों/कंटेनरों की दवा-वार संख्या

(7) सभी पैकेजों/कंटेनरों की कुल संख्या

(ज़ोर दिया गया)

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए और स्थायी आदेशों का पर्याप्त अनुपालन

37. समय-समय पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52 ए और एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जारी स्थायी आदेशों या निर्देशों का ठोस अनुपालन निष्पक्ष जांच और मुकदमे के लिए अनिवार्य है।

38. भारत संघ बनाम मोहनलाल, (2016) 3 एस. सी. सी. 379 के मामले में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

"15. धारा 52-ए (2) (सी) (उपर्युक्त) से यह स्पष्ट है कि वर्जित पदार्थ की ज़ब्ती पर उसे या तो निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी या धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेजा जाना चाहिए जो उक्त प्रावधान में निर्धारित एक सूची तैयार करेगा और मजिस्ट्रेट को (ए) सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने, (बी) मजिस्ट्रेट के समक्ष ली गई ऐसी दवाओं या पदार्थों की तस्वीरों को सही प्रमाणित करने, और (सी) मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने और नमूनों की सूची की शुद्धता को प्रमाणित करने के उद्देश्यों के लिए आवेदन करेगा।

16. धारा 52-ए की उप-धारा (3) में यह अपेक्षा की गई है कि मजिस्ट्रेट जितनी जल्दी हो सके आवेदन की अनुमति देगा। इसका तात्पर्य यह है कि प्रतिबंधित पदार्थ की ज़ब्ती होते ही और उसे पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेजते ही, संबंधित अधिकारी अपनी उपस्थिति में प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देने सहित उपरोक्त उद्देश्यों के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क करने के लिए कानूनी रूप से कर्तव्यबद्ध है, जिन नमूनों को सूचीबद्ध किया जाएगा और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नमूनों की सूची की शुद्धता को प्रमाणित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, नमूने लेने की प्रक्रिया मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और उनकी देखरेख में होनी चाहिए और पूरी प्रक्रिया को सही होने के लिए उनके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

17. ज़ब्ती के समय नमूने लेने का सवाल, जो अक्सर मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में होता है, उपरोक्त योजनाओं में नहीं आता है। यह विशेष रूप से तब है जब अधिनियम की धारा 52-ए (4) के अनुसार, उपरोक्त धारा 52-ए की उप-धारा (2) और (3) के अनुपालन में मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार और प्रमाणित नमूने मुकदमे में प्राथमिक साक्ष्य होते हैं। यह कहने के लिए पर्याप्त है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो ज़ब्ती के समय नमूने लेने को अनिवार्य करता है। शायद यही कारण है कि कोई भी राज्य ज़ब्ती के समय नमूने लेने का दावा नहीं करता है।

.....

31. संक्षेप में हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं:

31.1 जैसे ही मादक पदार्थ और मन:प्रभावी और नियंत्रित पदार्थों की ज़ब्ती और परिवहन प्रक्रिया पूरी होती है, उसे निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी

अधिकारी या अधिनियम की धारा 53 के तहत सशक्त अधिकारी को भेज दिया जाना चाहिए। इसके बाद संबंधित अधिकारी अधिनियम की धारा 52-ए (2) के तहत एक आवेदन के साथ मजिस्ट्रेट से संपर्क करेगा, जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 52-ए की उप-धारा (3) के तहत जल्द से जल्द अनुमति दी जाएगी, जैसा कि हमने इस फैसले के मुख्य भाग में "ज़ब्ती और नमूना" शीर्षक के तहत चर्चा की है। नमूना मजिस्ट्रेट की देखरेख में लिया जाएगा जैसा कि इस आदेश के पैरा 15 से 19 में चर्चा की गई है।"

(ज़ोर दिया गया)

39. भारत आंबले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2025 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 110) के हाल के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 52ए और उसके तहत बनाए गए स्थायी आदेशों और नियमों पर व्यापक रूप से विचार किया है, जिसमें इसके गैर-अनुपालन का प्रभाव, लगभग सभी न्यायिक निर्णयों का अवलोकन किया है और निम्नलिखित रूप में निष्कर्ष निकाला है:

"50. **हम अपने अंतिम निष्कर्ष को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करते हैंः—**

(I) हालंकि धारा 52ए मुख्य रूप से ज़ब्त किए गए निषिद्ध पदार्थों के सुरक्षित तरीके से निपटान और विनाश के लिए है, फिर भी यह नशीली दवाओं के निपटान के तत्काल संदर्भ से परे है, क्योंकि यह ज़ब्ती के बाद मादक पदार्थों के उपचार में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों को शुरू करने का एक व्यापक उद्देश्य भी पूरा करता है क्योंकि यह इन्वेंट्री तैयार करने, ज़ब्त किए गए पदार्थों की तस्वीरें लेने और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में और प्रमाणन के साथ उनसे नमूने लेने का प्रावधान करता है। राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में केवल

नमूने लेना एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52ए उप-धारा (2) के तहत जनादेश का पर्याप्त अनुपालन नहीं होगा।

(II) हालांकि, ऐसा कोई आदेश नहीं है कि ज़ब्त किए गए पदार्थ से नमूने लेने का काम ज़ब्ती के समय होना चाहिए जैसा कि मोहनलाल (उपरोक्त) में निर्धारित किया गया है, फिर भी हमारी राय है कि ज़ब्त किए गए पदार्थ की सूची बनाने, फोटो खींचने और नमूने लेने की प्रक्रिया यथासंभव अभियुक्त की उपस्थिति में होगी, हालांकि ऐसा ज़ब्ती के सटीक स्थान पर ही किया जए ऐसा ज़रूरी नहीं।

(III) एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52ए और उसके तहत नियमों/स्थायी आदेशों के तहत निर्धारित प्रक्रिया के पर्याप्त अनुपालन में तैयार की गई ज़ब्त पदार्थ की कोई भी सूची, तस्वीरें या नमूने को एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52ए उप-धारा (4) के अनुसार अनिवार्य रूप से प्राथमिक साक्ष्य के रूप में माना जाना चाहिए, भले ही मूल रूप से पदार्थ वास्तव में अदालत के समक्ष पेश किया गया हो या नहीं।

(IV) एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52ए के संदर्भ में स्थायी आदेश(ओं)/नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का उद्देश्य केवल अधिकारियों का मार्गदर्शन करना और यह देखना है कि जांच के प्रभारी अधिकारी द्वारा एक निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाती है, और इस तरह निर्धारित प्रक्रिया का पर्याप्त अनुपालन ही है जो आवश्यक है।

(V) धारा 52ए या स्थायी आदेश (ओं)/नियमों के तहत प्रक्रिया का गैर-अनुपालन मात्र ही मुकदमे के लिए तब तक घातक नहीं होगा जब तक कि अभियोजन पक्ष के मामले को संदिग्ध बनाने वाले भौतिक साक्ष्य में

विसंगतियां न हों, जो इस तरह का अनुपालन किए जाने पर नहीं हुई होंगी। न्यायालयों को अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में मौजूद विसंगतियों के बारे में वस्तु और संचयी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और प्रक्रियात्मक खामियों को ध्यान में रखते हुए उनकी अधिक सावधानी से सराहना करनी चाहिए।

(VI) यदि अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत अन्य वस्तु, मौखिक या दस्तावेजी, विश्वास प्रेरित करती है और अभियुक्त व्यक्तियों से मादक पदार्थ की वसूली के साथ-साथ सचेत कब्जे के संबंध में अदालत को संतुष्ट करती है, तो ऐसे मामलों में भी, अदालतें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 52ए के संदर्भ में किसी भी प्रक्रियात्मक दोष के बावजूद अभियुक्त को दोषी ठहराने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ सकती हैं।

(VII) उक्त प्रावधान या उसके तहत नियमों का गैर-अनुपालन या विलंबित अनुपालन अदालत को अभियोजन पक्ष के खिलाफ उपधारणा बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है, परंतु इस विषय में कोई कठोर और त्वरित नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि ऐसी उपधारणा कब बनाई जा सकती है, और यह सब प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

(VIII) जहां एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 52ए में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में पुलिस की ओर से चूक हुई हो या इसे साबित करने में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई चूक हुई हो, वहां अदालत के लिए एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 54 के तहत अवैध वस्तु ी के कब्जे से अपराध करने के वैधानिक उपधारणा का सहारा लेना उचित नहीं होगा, जब

तक कि अदालत को अन्य वस्तु से आरोपी व्यक्तियों से ऐसी वस्तु ी की ज़ब्ती या वसूली के संबंध में अन्यथा संतुष्टि न हो।

(IX) प्रारंभिक भार अभियुक्त पर होगा कि वह पहले यह दिखाने के लिए मूलभूत तथ्यों को रखे कि धारा 52ए का अनुपालन नहीं किया गया, या तो स्वयं के साक्ष्य का नेतृत्व करके या अभियोजन पक्ष के साक्ष्य पर निर्भर करके, और इस उद्देश्य के लिए आवश्यक मानक केवल संभावनाओं की प्रधानता होगी।

(X) एक बार जब दिए गए मूलभूत तथ्य एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52ए के गैर-अनुपालन का संकेत देते हैं, तो उसके बाद अभियोजन पक्ष पर ठोस साक्ष्य द्वारा यह साबित करने की जिम्मेदारी होगी कि (i) एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 52ए के अधिदेश का पर्याप्त अनुपालन हुआ है, या (ii) न्यायालय को संतुष्ट करता है कि इस तरह का गैर-अनुपालन अभियुक्त के खिलाफ उसके मामले को प्रभावित नहीं करता है, और आवश्यक सबूत का मानक एक उचित संदेह से परे होगा।"

(ज़ोर दिया गया)

तलाशी और जब्ती के संबंध में प्रासंगिक न्यायिक निर्णय।

40. पंजाब राज्य बनाम बलबीर सिंह, (1994) 3 एस. सी. सी. 299, में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

"10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41, 42, 43 और 51 और धारा 41, 42 और 43 के तहत गिरफ्तारी और तलाशी के संबंध में दं. प्र. सं. की धारा 4 को संयुक्त रूप से पढ़ने से, दं.

प्र. सं. के प्रावधान अर्थात् धारा 100 और 165 ऐसी गिरफ्तारी और तलाशी पर लागू होंगे। नतीजतन, गिरफ्तारी और तलाशी के संबंध में अनियमितताओं और अवैधताओं के संबंध में विभिन्न अदालतों द्वारा ऊपर चर्चा किए गए सिद्धांत प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत गिरफ्तारी और तलाशी पर भी समान रूप से लागू होंगे।

11. लेकिन एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 41 और 42 के तहत कुछ अन्य प्रतिबंधों की परिकल्पना की गई है। केवल धारा 41 के तहत इस तरह से सशक्त मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी और तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है जहां उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि अध्याय IV के तहत अपराध किया गया है और इसी तरह आगे जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। उप-धारा (2) के तहत केवल एक राजपत्रित अधिकारी या उसमें उल्लिखित अन्य सशक्त अधिकारी ही किसी अधीनस्थ अधिकारी को गिरफ्तार करने और तलाशी लेने के लिए प्राधिकरण दे सकते हैं यदि ऐसे अधिकारी के पास अपराध करने के बारे में विश्वास करने का कारण है और जानकारी, यदि कोई हो, को लिखित रूप में अभिलिखित करने के बाद। धारा 42 के तहत केवल उसमें उल्लिखित और इस तरह से सशक्त अधिकारी ही गिरफ्तारी या तलाशी ले सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास व्यक्तिगत ज्ञान या जानकारी पर विश्वास करने का कारण हो। इन दोनों प्रावधानों में दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं। एक यह है कि मजिस्ट्रेट या उसमें उल्लिखित अधिकारियों को सबसे पहले अधिकार दिया जाना चाहिए और उनके पास यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि अध्याय IV के तहत कोई अपराध किया गया है या इस तरह की गिरफ्तारी या तलाशी प्रावधान में उल्लिखित अन्य उद्देश्यों के लिए

आवश्यक थी। जहां तक पहली आवश्यकता का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि विधानमंडल का इरादा था कि केवल कुछ मजिस्ट्रेट और उच्च पद के अधिकारी ही गिरफ्तारी या तलाशी को प्रभावी बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं। यह एक सुरक्षा प्रदान की गई है जो निवारक सजाओं को ध्यान में रखते हुए और इस दृष्टि से प्रदान की गई है कि निर्दोष व्यक्तियों को परेशान न किया जाए। इसलिए यदि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के इन प्रावधानों के तहत किसी गिरफ्तारी या तलाशी पर विचार किया जाना है, तो यह केवल सक्षम और सशक्त मजिस्ट्रेट या उसके तहत उल्लिखित अधिकारियों द्वारा ही किया जा सकता है।

.....

15. .....एन.डी.पी.एस. अधिनियम का उद्देश्य उन दवाओं और पदार्थों से संबंधित संचालन के नियंत्रण और विनियमन के लिए कड़े प्रावधान करना है। साथ ही, निर्दोष व्यक्तियों को नुकसान से बचाने और अधिकारियों द्वारा प्रावधानों के दुरुपयोग से बचने के लिए, कुछ सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं जिनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। इसलिए ये प्रावधान यह अनिवार्य बनाते हैं कि उनमें उल्लिखित अधिकारियों में से, सूचना प्राप्त करने पर, उन्हें इसे लिखित रूप में अभिलिखित करना चाहिए और धारा 42 (1) के परंतुक के तहत प्रदान की गई गिरफ्तारी या तलाशी करते समय विश्वास के कारणों को भी दर्ज करना चाहिए। उस हद तक वे अनिवार्य हैं। नतीजतन इन आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता इस प्रकार अभियोजन मामले को प्रभावित करती है और इसलिए मुकदमे को दूषित करती है।

.....

25. ऊपर विचार किए गए प्रश्न अक्सर निचली अदालतों के समक्ष उठते हैं। इसलिए हमें अपने निष्कर्षों को निर्धारित करना आवश्यक लगता है जो इस प्रकार हैं:

(1) यदि कोई पुलिस अधिकारी एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी पूर्व सूचना के बिना किसी अपराध या संदिग्ध अपराधों की जांच के सामान्य क्रम में किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है या उसे गिरफ्तार करता है जैसा कि दं. प्रं. सं. के प्रावधानों के तहत प्रदान किया गया है और जब ऐसी तलाशी उस स्तर पर पूरी हो जाती है तो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 आकर्षित नहीं होगी और उसके तहत आवश्यकताओं का पालन करने का सवाल ही नहीं उठेगा। यदि इस तरह की तलाशी या गिरफ्तारी के दौरान किसी भी मादक पदार्थ या मादक पदार्थ की बरामदगी की संभावना है, तो पुलिस अधिकारी, जो सशक्त नहीं है, को अधिकार प्राप्त अधिकारी को सूचित करना चाहिए, जिसे इसके बाद एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। यदि वह एक अधिकार प्राप्त अधिकारी भी है, तो उस चरण के बाद, उसे एन. डी. पी. एस. अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अनुसार जांच करनी चाहिए।

(2-ए) धारा 41 (1) के तहत केवल एक अधिकार प्राप्त मजिस्ट्रेट ही अधिनियम के अध्याय IV आदि के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में गिरफ्तारी या तलाशी के लिए वारंट जारी कर सकता है, जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसे अपराध किए गए हैं या ऐसे पदार्थ किसी भवन, वाहन या स्थान में रखे गए हैं या छिपाए गए हैं। जब गिरफ्तारी या

तलाशी के लिए वारंट एक ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है जो सशक्त नहीं है, तो ऐसी तलाशी या गिरफ्तारी यदि की जाती है तो यह अवैध होगी। इसी तरह धारा 41 (2) और 42 (1) में उल्लिखित केवल अधिकार प्राप्त अधिकारी या विधिवत अधिकृत अधिकारी ही एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य कर सकते हैं। यदि ऐसी गिरफ्तारी या तलाशी एन. डी. पी. एस. अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे अधिकारियों के अलावा किसी और द्वारा की जाती है, तो यह अवैध होगा।

(2-बी) धारा 41 (2) के तहत केवल अधिकार प्राप्त अधिकारी ही अपने अधीनस्थ अधिकारी को किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या तलाशी लेने का अधिकार दे सकता है जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया है। यदि कोई उल्लंघन होता है, तो यह अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित करेगा और दोषसिद्धि को कमज़ोर करेगा।

(2-सी) धारा 42 (1) के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारी के पास यदि किसी व्यक्ति द्वारा दी गई पूर्व सूचना है, तो उसे अनिवार्य रूप से लिखित रूप में लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर उसके पास व्यक्तिगत जानकारी से यह विश्वास करने का कारण है कि अध्याय IV के तहत अपराध किए गए हैं या ऐसी वस्तु किसी भी इमारत आदि में छिपी हुई है जो ऐसे अपराधों के होने का सबूत दे सकती है, तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच वारंट के बिना गिरफ्तारी या तलाशी ले सकता है और यह प्रावधान यह अनिवार्य नहीं करता है कि उसे अपने विश्वास के कारणों को दर्ज करना चाहिए। लेकिन धारा 42 (1) के प्रावधान के तहत यदि ऐसे अधिकारी को सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच

इस तरह की खोज करनी है, तो उसे अपने विश्वास के आधार को दर्ज करना होगा।

(ज़ोर दिया गया)

41. पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह, (1999) 6 एस. सी. सी. 172 में उच्चतम न्यायालय की माननीय संविधान पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः-

"57. उपरोक्त तर्क और चर्चा के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैंः

(1) कि जब कोई अधिकार प्राप्त अधिकारी या पूर्व सूचना पर कार्य करने वाला विधिवत अधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला हो, तो उसके लिए यह अनिवार्य है कि वह संबंधित व्यक्ति को धारा 50 की उप-धारा (1) के तहत अपने निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास लिए जाने के अधिकार के बारे में को सूचित करे। हालाँकि, ऐसा आवश्यक नहीं कि यह जानकारी लिखित रूप में ही हो।

(2) राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लेने के अपने अधिकार के अस्तित्व के बारे में संबंधित व्यक्ति को सूचित करने में विफलता एक आरोपी के लिए पूर्वाग्रह का कारण बनेगी।

(3) कि एक सशक्त अधिकारी द्वारा पूर्व सूचना पर की गई तलाशी जो व्यक्ति को उसके तलाशी के लिए एक राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए जाने के अधिकार के बारे में सूचित किए बिना की जाती है, या जब वह व्यक्ति अपने इस अधिकार का प्रयोग कर ऐसा करने का विकल्प चुनता है और राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने उसकी तलाशी लेने

में विफलता मुकदमे को दूषित नहीं करेगी, लेकिन अवैध वस्तु संदिग्ध की बरामदगी को विकृत कर देगी और आरोपी की दोषसिद्धि और सज़ा को दूषित कर देगी, जहां अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान केवल उसके व्यक्ति से बरामद अवैध वस्तु के कब्जे के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की गई है।

(4) कि वास्तव में समाज को अपराधियों से बचाने की आवश्यकता है। यदि अपराध करने वाले व्यक्तियों को इस वजह से छोड़ दिया जाता है कि उनके खिलाफ सबूत को ऐसा माना जाना चाहिए जैसे कि यह मौजूद नहीं हैं, तो सुरक्षा के सामाजिक इरादे को नुकसान होगा। इसलिए इसका उत्तर यह है कि जांच एजेंसी को कानून द्वारा परिकल्पित प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन करना चाहिए और ऐसा करने में विफलता को उच्च अधिकारियों द्वारा संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई को गंभीरता से आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि जांच प्राधिकरण की ओर से लापरवाही पर अंकुश लगाया जा सके। हर मामले में अंतिम परिणाम महत्वपूर्ण होता है लेकिन इसे प्राप्त करने के साधन दुरुस्त रहने चाहिए। उपचार स्वयं रोग से भी बदतर नहीं हो सकता है। न्यायिक प्रक्रिया की वैधता एक संदेह के घेरे में आ सकती है यदि अदालत को तलाशी अभियानों के दौरान जांच एजेंसी द्वारा की गई अराजकता के कृत्यों को माफ करते हुए देखा जाता है और यह कानून के प्रति सम्मान को भी कम कर सकता है और इसका प्रभाव न्याय के प्रशासन से असहनीय रूप से समझौता करने का हो सकता है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। एक अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। एक अनुचित मुकदमे के परिणामस्वरूप एक दोषसिद्धि न्याय की हमारी अवधारणा के विपरीत है। धारा

50 ए में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन में एकत्र किए गए साक्ष्य का उपयोग, मुकदमे को अनुचित बना देगा।

(5) यह कि धारा 50 में दिए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया है या नहीं, इसका निर्धारण अदालत को मुकदमे में दिए गए साक्ष्य के आधार पर करना होगा। उस मुद्दे पर कोई खोज किसी न किसी तरह दोषसिद्धि या बरी होने के आदेश को दर्ज करने के लिए प्रासंगिक होगा। अभियोजन पक्ष को मुकदमे में यह स्थापित करने का अवसर दिए बिना कि धारा 50 के प्रावधानों और विशेष रूप से, उसमें प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का विधिवत पालन किया गया था, आपराधिक मुकदमे को कम करने की अनुमति नहीं होगी।

(6) कि जिस संदर्भ में तलाशी लेने के इच्छुक व्यक्ति के लाभ के लिए धारा 50 में संरक्षण को शामिल किया गया है, हम कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं कि क्या धारा 50 के प्रावधान अनिवार्य या निर्देशिका हैं, लेकिन यह मानते हैं कि धारा 50 की उप-धारा (1) से उत्पन्न होने वाले अपने अधिकार के बारे में संबंधित व्यक्ति को सूचित करने में विफलता, निषिद्ध संदिग्ध की वसूली और अभियुक्त की दोषसिद्धि और सजा को कानून में खराब और अस्थिर बना सकती है।

(7) कि अधिनियम की धारा 50 में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करते हुए की गई तलाशी के दौरान किसी अभियुक्त के पास से जब्त की गई अवैध वस्तु का उपयोग अभियुक्त पर अवैध रूप से प्रतिबंधित पदार्थ रखने के प्रमाण के रूप में नहीं किया जा सकता है, हालांकि उस तलाशी के दौरान बरामद की गई किसी भी अन्य वस्तु ी पर अभियोजन पक्ष द्वारा

अन्य कार्यवाहियों में किसी अभियुक्त के खिलाफ निर्भर किया जा सकता है, भले ही अवैध तलाशी के दौरान उस वस्तु की बरामदगी हुई हो।

(8) अधिनियम की धारा 54 के तहत एक उपधारणा केवल तभी बनाई जा सकती है जब अभियोजन पक्ष यह स्थापित कर सके कि धारा 50 के अधिदेश के अनुसार की गई तलाशी में आरोपी के पास प्रतिबंधित पदार्थ पाया गया था। एक अवैध तलाशी अभियोजन पक्ष को अधिनियम की धारा 54 के तहत एक अनुमान लगाने का अधिकार नहीं दे सकती है।

(9) कि पूरन मल के मामले के फैसले से यह नहीं समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति की तलाशी के दौरान ज़ब्त की गई अवैध वस्तु, पूर्व सूचना पर, अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, स्वयं उस व्यक्ति पर अवैध वस्तु के गैरकानूनी कब्जे के सबूत के रूप में उपयोग की जा सकती है जिससे अवैध तलाशी के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया है।

(10) यह कि अली मुस्तफा मामले में फैसला पूरन मल मामले में फैसले की सही व्याख्या और अंतर करता है और पिरथी चंद मामलों और जसबिर सिंह मामले में की गई व्यापक टिप्पणियां पूरन मल मामले में निर्धारित कानून के सही स्पष्टीकरण के अनुरूप नहीं हैं।"

(ज़ोर दिया गया।)

42. करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2009) 8 एस. सी. सी. 539 में उच्चतम न्यायालय की माननीय संविधान पीठ ने निम्नलिखित निर्णय दिया हैः-

"**5.** धारा 42, जिसके साथ हम संबंधित हैं, वारंट या प्राधिकरण के बिना प्रवेश, तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है। धारा 43 सार्वजनिक स्थान पर ज़ब्ती और गिरफ्तारी की शक्ति से संबंधित है। धारा 50 उन शर्तों को संदर्भित करती है जिनके तहत व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी।

.....

29. उल्लेखनीय है कि *बलदेव सिंह मामले* [(1999) 6 एस. सी. सी. 172:] में अधिनियम की धारा 50 और उसके पालन न करने के प्रभाव पर विचार किया गया है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि कुछ सुरक्षा और सुरक्षा उपायों वाले धारा 50 के समान प्रावधान निहित रूप से इसे अनिवार्य और अनिवार्य बनाते हैं और जांच अधिकारी पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य डालते हैं कि संबंधित व्यक्ति की तलाशी और ज़ब्ती धारा 50 द्वारा निर्धारित तरीके से की जाए।

.....

31. राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के लिए सुरक्षा या संरक्षण को धारा 50 में शामिल किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्तियों की तलाशी केवल एक अच्छे कारण के साथ की जाए और इस तरह की तलाशी से प्राप्त साक्ष्य की सत्यता को बनाए रखा जा सके। लेकिन इस सख्त प्रक्रियात्मक आवश्यकता को 2001 के अधिनियम 9 द्वारा धारा में उप-धारा (5) और (6) को शामिल करके कम कर दिया गया है, जिसके द्वारा निम्नलिखित उप-धाराओं को तदनुसार जोड़ा गया था:

"50. (5) जब धारा 42 के अधीन सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है, उसके कब्जे में किसी स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से जिसकी तलाशी ली जानी है अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 100 में उपबंधित है।

(6) उपधारा (5) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करेगा, जिसकी वजह से ऐसी तलाशी की आवश्यकता पडी थी और उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदधारी को बहत्तर घंटे के भीतर भेजेगा।

इस संशोधन के माध्यम से बलदेव सिंह [(1999) 6 एस. सी. सी. 172:] मामले द्वारा अनिवार्य रूप से सख्त प्रक्रियात्मक आवश्यकता को टाला गया था और उच्च अधिकारी को तय समय के भीतर रिकॉर्ड भेजने से छूट के साथ-साथ विधायिका द्वारा दं. प्र. सं. की धारा 100 के प्रभाव को शामिल किया गया था। *बलदेव सिंह मामले* [(1999) 6 एस. सी. सी. 172: 1999 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1080] द्वारा धारा 50 के पूर्व में अनिवार्य सख्त अनुपालन पर प्रदत्त प्रभाव यह था कि प्रक्रियात्मक आवश्यकताएँ जो खोज और जब्ती की आपातकालीन आवश्यकता को बाधित कर सकती हैं और संदिग्ध को भागने का मौका दे सकती हैं, ऐसी आपातकालीन स्थिति की

तर्कसंगतता के आधार पर निर्देशिका बनाई गई थी। हालाँकि यह नहीं कहा जा सकता है कि संदिग्धों को दी गई सुरक्षा या सुरक्षा पूरी तरह से छीन ली गई है, लेकिन प्रक्रियात्मक मानदंडों में कुछ लचीलापन केवल एक तत्काल स्थिति को संतुलित करने के लिए अपनाया गया था। परिणामस्वरूप बलदेव सिंह मामले [(1999) 6 एस. सी. सी. 172] में दिए गए आदेश को कमज़ोर कर दिया गया है।

.....

33. *अब्दुल राशिद* [(2000) 2 एस. सी. सी. 513] को 1-2-2000 को तय किया गया था, लेकिन उसके बाद धारा 42 को 2-10-2001 से संशोधित किया गया है और आवश्यक जानकारी की ऐसी रिपोर्ट भेजने का समय उसे लिखने के 72 घंटों के भीतर निर्दिष्ट किया गया है। विधायिका द्वारा छूट स्पष्ट रूप से केवल अधिनियम के उद्देश्य को बनाए रखने के लिए है। प्रावधान के अनिवार्य अनुप्रयोग के प्रश्न का उत्तर उक्त संशोधन के आलोक में दिया जा सकता है। उक्त प्रावधान का गैर-अनुपालन मुकदमे को दूषित नहीं कर सकता है यदि यह अभियुक्त के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं करता है।

.....

35. अंत में, ध्यान देने योग्य बात यह है कि *अब्दुल राशिद* [(2000) 2 एस. सी. सी. 513: 2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 496] को धारा 42 (1) और 42 (2) की आवश्यकताओं के शाब्दिक अनुपालन की आवश्यकता नहीं थी और न ही *साजन अब्राहम* [(2001) 6 एस. सी. सी. 692: 2001 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 1217] का मानना है कि धारा

42 (1) और 42 (2) की आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों निर्णयों का प्रभाव इस प्रकार थाः

(क) किसी व्यक्ति के माध्यम से अधिकारी को धारा 42 की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति से संबंधित जानकारी पंजी में लिखित रूप में दर्ज करनी थी और धारा 42 (1) के खंड (ए) से (डी) के संदर्भ में कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ने से पहले तुरंत अपने तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को एक प्रति भेजनी थी।

(ख) लेकिन यदि सूचना तब प्राप्त होती है जब अधिकारी पुलिस थाने में नहीं था, गश्ती ड्यूटी पर था या सूचना मोबाइल फोन या अन्य माध्यमों से मिली थी, और सूचना तत्काल कार्रवाई की मांग करती है और किसी भी देरी के परिणामस्वरूप माल या साक्ष्य को हटा दिया जाता या नष्ट कर दिया जाता, तो उसे दी गई जानकारी को लिखित रूप में लेना संभव या व्यावहारिक नहीं होता, ऐसी स्थिति में, वह धारा 42 (1) के खंड () से (ए) से (डी) के अनुसार कार्रवाई कर सकता है और उसके बाद, जैसे ही सुविधाजनक हो, लिखित रूप में जानकारी दर्ज कर और तुरंत वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दे। आधिकारिक वरिष्ठ के लिए भी ऐसा ही है।

(ग) दूसरे शब्दों में, प्राप्त जानकारी को लिखने और उसकी एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेजने के संबंध में धारा 42 (1) और 42 (2) की आवश्यकताओं का अनुपालन, आम तौर पर अधिकारी द्वारा प्रवेश, तलाशी और जब्ती से पहले होना चाहिए। लेकिन आकस्मिक परिस्थितियों से जुड़ी विशेष परिस्थितियों में, लिखित रूप में सूचना की रिकॉर्डिंग और आधिकारिक वरिष्ठ को इसकी एक प्रति भेजना एक उचित अवधि, यानी तलाशी, प्रवेश और जब्ती

के बाद, के लिए स्थगित किया जा सकता है। सवाल तात्कालिकता और समीचीनता का है।

(घ) हालंकि धारा 42 की उप-धारा (1) और (2) की आवश्यकताओं का पूर्ण गैर-अनुपालन अनुज्ञेय है, विलंब के बारे में संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ विलंबित अनुपालन धारा 42 का स्वीकार्य अनुपालन होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी भी देरी के परिणामस्वरूप आरोपी भाग सकता है या माल या साक्ष्य को नष्ट या हटा दिया जा सकता है, तो कार्रवाई शुरू करने से पहले प्राप्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज नहीं किया जा सकता है, या ऐसी जानकारी की एक प्रति को अधिकारी वरिष्ठ को तुरंत नहीं भेजा जा सकता है, तो इसे धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। लेकिन यदि सूचना तब प्राप्त हुई जब पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त समय के साथ पुलिस स्टेशन में था, और यदि पुलिस अधिकारी प्राप्त जानकारी को लिखित रूप में दर्ज करने में विफल रहता है, या इसकी एक प्रति आधिकारिक वरिष्ठ को भेजने में विफल रहता है, तो यह एक संदिग्ध परिस्थिति होगी जो अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी तरह, जहां पुलिस अधिकारी बिल्कुल भी जानकारी दर्ज नहीं करता है, और अधिकारी वरिष्ठ को बिल्कुल भी सूचित नहीं करता है, तो भी यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन होगा। धारा 42 का पर्याप्त या पर्याप्त अनुपालन हुआ है या नहीं, यह प्रत्येक मामले में तय किया जाने वाला तथ्य का सवाल है। 2001 के अधिनियम 9 द्वारा धारा 42 में संशोधन के साथ उपरोक्त स्थिति मजबूत हुई।"

(ज़ोर दिया गया)

43. **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने **नजमुनिशा बनाम अब्दुल हामिद चांदमिया @ लाड़ू बापू, 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 520** के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया हैः-

"**31.** एन.डी.पी.एस. अधिनियम 1985 की धारा 42 (1) के प्रावधान के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह प्रावधान एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 41 (2) के आधार पर सशक्त अधिकारी को एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 के अध्याय IV के तहत किसी कथित अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी को दर्ज करने या एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 42 (1) के प्रावधान के अनुसार अपने विश्वास के आधार को दर्ज करने के लिए बाध्य करता है, यदि कोई अधिकार प्राप्त अधिकारी अपनी व्यक्तिगत जानकारी पर आगे बढ़ता है। हालंकि उक्त तलाशी या छापे से पहले तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को सूचित किया जाना है, ऐसा करने में असमर्थता के मामले में, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 (2) में प्रावधान है कि इसकी एक प्रति संबंधित तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को उनके विश्वास के आधार के साथ भेजी जाएगी। एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 42 (2) के आधार पर यह छूट 2001 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1985 के एन. डी. पी. एस. अधिनियम में लाई गई थी, जिसमें इस स्थिति से पहले, धारा 42 (2) ने उक्त लेखन की प्रति को तत्काल आधिकारिक वरिष्ठ को "तुरंत" भेजने का आदेश दिया था।

32. *करनैल सिंह* (उपरोक्त) में निर्णय को अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यापक रूप से संदर्भित किया गया है और दोहराने की कीमत पर, यह देखा गया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 42 (1) और

(2) के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का पूर्ण गैर-अनुपालन वर्जित है। हालाँकि, उक्त अनुपालन में किसी देरी की अनुमति दी जा सकती है, यह देखते हुए कि इस तरह की देरी के लिए अच्छी तरह से तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण द्वारा समर्थित है। इस न्यायालय की तत्काल 5-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अपनाई गई यह स्थिति, इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपात से प्राप्त होती है।

33. एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 42 के अनुपालन पर विचार करते हुए एक अन्य 3-न्यायाधीशों की पीठ ने *छुन्ना उर्फ मेहताब बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* (2002) 9 एस. सी. सी. 363 मामले में आपराधिक मुकदमे से संबंधित था जिसमें एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 के तहत वैधानिक आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से पालन नहीं किया गया था पर फैसला दिया है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उसमें याचिकाकर्ता-अपीलार्थी का मुकदमा दूषित हो गया।.....

34. *धरमवीर प्रसाद बनाम बिहार राज्य,* (2020) 12 एस. सी. सी. 492, में अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए किसी भी स्पष्टीकरण के बिना स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी और यहां तक कि पंचनामा या जब्ती ज्ञापन भी मौके पर नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद तैयार किया गया था। चूंकि एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 42 का पालन न करते हुए वाहन को पकड़ा गया था और प्रतिबंधित पदार्थ ज़ब्त किया गया था- इसलिए उसमें अपीलार्थी की दोषसिद्धि और सज़ा को दरकिनार कर दिया गया था। उक्त कारणों के अलावा कई संदिग्ध परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा

पुष्टि की गई दोषसिद्धि को दरकिनार करने के लिए न्यायालय के विश्वास को प्रेरित किया।....."

(ज़ोर दिया गया)

44. केरल राज्य बनाम प्रभु (आपराधिक अपील सं. 3434 वर्ष 2024) जिस में 20.08.2024 पर निर्णय लिया गया है, **माननीय सर्वोच्च न्यायालय** ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

"7. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के अनुपालन की आवश्यकता के प्रश्न पर कानून का स्पष्टीकरण अब एकीकृत नहीं है और इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि वसूली व्यक्ति से नहीं थी और जबकि उसके द्वारा ले जाए गए थैले से, तो एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के तहत निर्धारित प्रक्रिया औपचारिकताओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस मामले में भी सबूत निर्विवाद रूप से स्थापित करते हैं कि प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी उस थैले से हुई थी जिसे प्रतिवादी द्वारा ले जाया जा रहा था।"

(ज़ोर दिया गया)

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत इकबालिया बयान की स्वीकार्यता।

45. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 इस प्रकार है:

"**67. जानकारी आदि मांगने की शक्ति**— धारा 42 में निर्दिष्ट कोई ऐसा अधिकारी जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा निमित्त प्राधिकृत

किया जाता है, इस अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन के संबंध में किसी भी जांच के अनुक्रम में-

(क) अपना यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए क्या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, किसी वयक्ति से जानकारी मांग सकेगा;

(ख) किसी व्यक्ति से जांच के लिए उपयोगी या सुसंगत किसी दस्तावेज या चीज़ को पेश करने या परिदत्त करने की अपेक्षा कर सकेगा;

(ग) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा।"

46. एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए इकबालिया बयानों के साक्ष्य मूल्य पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **तूफान सिंह बनाम तमिलनाडू राज्य (2021) 4 एससीसी 1** के मामले में विचार किया था। बहुमत के फैसले के अनुसार इस मामले में 3-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 67 के साथ पठित एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 41 और 42 के तहत अधिकार प्राप्त अधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियां सीमित प्रकृति की हैं जो बिना वारंट के प्रवेश, तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ्तारी के उद्देश्य से प्रदान की गई हैं। उपरोक्त प्रावधानों के तहत की गई "जांच" से एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 की धारा 53 के तहत या अन्यथा ऐसा करने के लिए सशक्त अधिकारियों द्वारा जांच या जांच शुरू की जा सकती है। इस प्रकार, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 53 के तहत जिन अधिकारियों को अधिकार दिए गए हैं, वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के अर्थ में "पुलिस अधिकारी" हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें दिया गया कोई भी इकबालिया बयान साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के तहत वर्जित होगा, और एनडीपीएस

अधिनियम के तहत किसी आरोपी को दोषी ठहराने के लिए इसे उपयोग में नहीं लिया जा सकता है। यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किए गए बयान का उपयोग एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराध के मुकदमे में इकबालिया बयान के रूप में नहीं किया जा सकता है।

47. नजमुनिशा बनाम गुजरात राज्य, 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 520, एयर ऑनलाइन 2024 एस. सी. 306 के हालिया फैसले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर से तूफान सिंह मामले (उपरोक्त) पर निर्भर करते हुए कहा है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज बयान को एन. डी. पी. एस. अधिनियम 1985 के तहत किसी आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए नहीं माना जा सकता है।

वर्तमान मामला

साक्ष्य की सराहना

48. तत्काल मामले पर आते हुए, मैंने पाया कि मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा सूचनाकर्ता और जांच अधिकारी सहित कुल छह अभियोजन गवाहों से पूछताछ की गई है। सूचनाकर्ता की जांच पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में की गई है। उन्होंने अपनी लिखित रिपोर्ट में दिए गए अपने बयान को दोहराते हुए अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। इन की पहचान पर अपीलार्थी के इक़बालिया बयान को **प्रदर्श- 1** के रूप में चिह्नित किया गया है। ज़ब्ती ज्ञापन पर हस्ताक्षर की पहचान भी इस गवाह द्वारा की गई थी जिसे **प्रदर्श- 2** और **प्रदर्श- 2/ए** के रूप में चिह्नित किया गया था। इन की पहचान पर **गिरफ्तारी ज्ञापन** को **प्रदर्श- 4** के रूप में भी चिह्नित किया गया है। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि ज़ब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को कांगली पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया था। हालाँकि, **पी.डब्ल्यू.- 1** को बिना जिरह के आरोपमुक्त कर दिया गया क्योंकि बार-बार कॉल करने पर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से इस गवाह से जिरह करने के लिए नहीं आ सके।

49. पी.डब्ल्यू.- 2, शांतुनु रॉय, छापा मारने वाले दल के सदस्य थे। अपने **मुख्य परीक्षण** में, उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में गवाही दी है। उन्होंने बयान दिया है कि जब अपीलार्थी को पकड़ा गया था, तो उनसे पूछा गया था कि क्या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में उनकी तलाशी ली जा सकती है। लेकिन अपीलार्थी ने किसी राजपत्रित अधिकारी की अनुपस्थिति में अपनी तलाशी लिए जाने पर अपनी सहमति दे दी। तलाशी के दौरान एक थैले से चार पैकेट *चरस* बरामद किए गए और उसकी शर्ट की जेब से एक पैकेट *चरस* बरामद किया गया। ज़ब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ का वज़न 2.400 किलोग्राम था। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि जब्ती की सूची घटना स्थल पर तैयार की गई थी। अपने **प्रतिपरीक्षण** में उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि अपीलार्थी के कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं किया गया था और वह निर्दोष है।

50. पी.डब्ल्यू.- 3 अनुज कुमार, जो छापा मारने वाली टीम के सदस्य थे, ने भी अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में वही बयान दिया है जो **पी.डब्ल्यू-2** ने अपने **मुख्य परीक्षण** के बयान में दिया था। अपने **प्रतिपरीक्षण** में उन्होंने कहा है कि कुछ लोग घटना स्थल के पास के खेत में काम कर रहे थे, लेकिन तलाशी के समय उनमें से किसी को भी नहीं बुलाया गया था। **पी.डब्ल्यू- 4**, गिल्बर्ट सिंह भी छापा मारने वाले दल के सदस्य थे। उन्होंने अपने **मुख्य परीक्षण** में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है और **पीडब्लू- 2** तथा **पीडब्लू- 3** द्वारा दिए गए बयानों के समान ही बयान दिए हैं।

51. पी.डब्ल्यू- 6 सुधीर कुमार घटना के प्रासंगिक समय पर कांगली पुलिस स्टेशन के एस. एच. ओ. थे। उन्होंने कांगली पी. एस. केस संख्या 8 वर्ष 2018 में ज़ब्त किए गए सामान का सीलबंद पैकेट पेश किया है। इसका वज़न 2.400 किलोग्राम पाया गया। इस पर टाउन पुलिस स्टेशन, बेतिया के समर्पित गोदाम की क्रम संख्या 12 प्रदर्शित है। इसे वस्तु **प्रदर्श- 1** के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने उपरोक्त वस्तु प्रदर्शनी को अदालत के

समक्ष इसकी मुहर लगाने के लिए नहीं लाया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी उपस्थिति में उसे ज़ब्त नहीं किया गया था, न ही वह व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनी वस्तु के बारे में जानते हैं।

52. मामले के **जांच अधिकारी** शमीम अख्तर हवारी से **पी.डब्ल्यू- 5** के रूप में पूछताछ की गई है। **मुख्य परीक्षण** में उन्होंने रेलवे ट्रैक को गांव *भेरिहारवा* में स्थित घटना स्थल के रूप में वर्णित किया है। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि 31.1.2017 को अदालत की उपस्थिति में नमूना लिया गया था और चौकीदार मनोज राम के माध्यम से एफएसएल मुजफ्फरपुर को नमूना भेजा गया था। अपने **प्रतिपरीक्षण** में उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने एसएसबी के निरीक्षक के आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी और उसके बाद, उत्पादन-सह-जब्ती सूची तैयार की गई थी। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि उपरोक्त उत्पादन-सह-ज़ब्ती सूची में उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया है कि कौन सा माल ज़ब्त किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि घटना स्थल के आसपास लोग कृषि क्षेत्र में काम कर रहे थे। उन्होंने यह भी बयान दिया है कि उन्होंने जांच के दौरान किसी निजी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की थी। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया है कि अपीलार्थी निर्दोष है।

53. ऐसी कोई ज़ब्ती सूची नहीं है जिसे आई. ओ. द्वारा घटना स्थल पर तैयार किए जाने का दावा किया गया हो। केवल प्रस्तुति-सह-जब्ती सूची है जो कांगली के पुलिस स्टेशन में तैयार की गई थी। दो "स्वतंत्र गवाहों"- मोहन राम और सुनील राम और सहायक कमांडेंट द्वारा हस्ताक्षरित सामान का एक प्रारूप है। इस में अभियुक्त के हस्ताक्षर नहीं हैं। इस के अलावा तथाकथित स्वतंत्र गवाहों से पूछताछ नहीं की गई है। छापा मारने वाली पार्टी के सदस्य पी. डब्ल्यू -2 ने बयान दिया है कि तलाशी के समय किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को नहीं बुलाया गया था। इसके अलावा, जांच के दौरान आई. ओ. द्वारा किसी भी निजी व्यक्ति से पूछताछ नहीं की गई।

54. एफएसएल, मुज़फ़्फ़रपुर की रिपोर्ट को **प्रदर्श 8** के रूप में भी चिह्नित किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार, एक टिन के *डिब्बे* से युक्त पार्सल को एक कपड़े के आवरण के भीतर संलग्न कर आगे की ओर मुहर के निशान के अनुरूप मुहर के निशान के साथ विधिवत तरीके से सील किया गया। ऊपर वर्णित टिन के डिब्बे में गोल आकार का काले रंग का चिपचिपा रेसिननुमा पदार्थ था जिसका वज़न लगभग 26.5 ग्राम था जिसे आरोपी अली हक़ से ज़ब्त किया गया था। जाँच के अनुसार ऊपर वर्णित काले रंग के गोल आकार के चिपचिपे रेसिननुमा पदार्थ में चरस पाया गया। चरस भांग के पौधे की पत्तियों और फूलों के शीर्ष से एकत्र किया गया कच्चा, रेसिननुमा पदार्थ है, जिसका मुख्य मादक घटक टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (टीएचसी) है।

55. एफ. आई. आर./लिखित रिपोर्ट और अभिलेख पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि कथित अपराध के सूचनाकर्ता द्वारा प्राप्त सूचना को उसके द्वारा लिखित रूप में अभिलिखित नहीं किया गया था, इस की एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेजने की तो बात ही नहीं है। इसलिए, यह एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। यह आगे पता चलता है कि आरोपी के व्यक्ति की तलाशी के समय, उनसे केवल यह पूछा गया था कि क्या वे राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी दिलवाना चाहेंगे, लेकिन उन्हें राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने के उनके अधिकार से अवगत नहीं कराया गया था। इसलिए, यहाँ फिर से, एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 50 के वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन हुआ। चरस का कथित एक पैकेट उसकी कमीज की जेब से बरामद किया गया था, हालांकि उसके थैले से चरस के चार पैकेट बरामद किए गए थे।

56. मैं फिर से पाता हूँ कि उस स्थान के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों के विरोधाभासी साक्ष्य हैं जहाँ प्रतिबंधित पदार्थ की ज़ब्ती सूची तैयार की गई थी। पी.डब्ल्यू-2

के अनुसार छापेमारी करने वाले दल के सदस्य शांतुनु रॉय ने घटना स्थल पर ज़ब्ती सूची तैयार की थी, जब कि जांच अधिकारी शमीम अख्तर हवारी के अनुसार, उत्पादन-सह-ज़ब्ती सूची पुलिस स्टेशन में तैयार की गई थी। इसके अलावा, ज़ब्त सामान के प्रोफार्मा पर आरोपी के हस्ताक्षर नहीं हैं। जाँच अधिकारी द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि उत्पादन-सह-ज़ब्ती सूची में इस बात का कोई संदर्भ नहीं है कि कौन सा सामान ज़ब्त किया गया था। अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में यह भी आया है कि तलाशी और ज़ब्ती के समय स्वतंत्र व्यक्ति घटना स्थल के आसपास मौजूद थे लेकिन उन में से किसी को भी तलाशी और ज़ब्ती प्राधिकरण द्वारा नहीं बुलाया गया था। जाँच अधिकारी ने यह भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जाँच के दौरान न तो किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ की गई और न ही मुकदमे के दौरान किसी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ की गई। यहां तक कि दो स्वतंत्र गवाह- मोहन राम और सुनील राम, जिन के बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने ज़ब्त सामान के प्रोफार्मा पर हस्ताक्षर किए थे, से भी मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई।

57. नमूना लेने के संबंध में, यह जांच अधिकारी के साक्ष्य में आया है कि यह न्यायालय की उपस्थिति में तैयार किया गया था, लेकिन अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य में कोई विवरण नहीं दिया गया है कि वे किस न्यायालय का उल्लेख कर रहे हैं।

58. इसके अलावा, आरोप के अनुसार, कुल मिलाकर 2.4 कि. ग्रा. चरस बरामद किया गया था, जिसमें से 26.5 ग्राम का नमूना लिया गया था, लेकिन नमूना लेने के बाद भी, अदालत में पेश किए गए ज़ब्त प्रतिबंधित पदार्थ का वज़न अभी भी 2.4 कि. ग्रा. है।

59. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से यह भी स्पष्ट नहीं है कि प्रतिबंधित पदार्थ की ज़ब्ती के बाद, इसे नमूने लेने से पहले कहां रखा गया था और क्या इसे पहचान के विवरण के साथ सुरक्षित हिरासत में रखा गया था। कथित नमूने लेने के बाद भी, यह फिर से स्पष्ट नहीं है कि ज़ब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को कहाँ रखा गया था। नमूने पर अभियुक्त के

हस्ताक्षर का भी कोई संदर्भ नहीं है। यह भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 67 के तहत दर्ज किया गया इक़बालिया बयान स्वीकार्य साक्ष्य नहीं है।

इस न्यायालय का मंतव्य और निष्कर्ष

60. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों से मैं स्पष्ट रूप से पाता हूं कि अभियुक्त/अपीलार्थी के कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी काफी संदिग्ध है। इस प्रकार, कथित अपराध के मूलभूत तथ्यों को अभियोजन पक्ष द्वारा उचित संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका है। इसलिए एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 35 और धारा 54 के तहत अभियुक्त/अपीलार्थी के खिलाफ उपधारणा नहीं बनाई जा सकती। इसलिए, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपीलार्थी पर जिम्मेदारी स्थानांतरित करने का कोई सवाल ही नहीं है। नतीजतन, अपीलार्थी के खिलाफ अभियोजन पक्ष का मामला बुरी तरह विफल हो जाता है। विवादित निर्णय और सज़ा का आदेश टिकाऊ नहीं है।

61. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है, जिसमें कांगली कांड संख्या 08 वर्ष 2017 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 18 वर्ष 2017/सी. आई. एस. संख्या 23 वर्ष 2019 में विद्वान जिला और सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, बेतीया, पश्चिम चंपारण द्वारा पारित दोषसिद्धि के विवादित निर्णय और सज़ा के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

62. अपीलार्थी को सभी आरोपों से बरी किया जाता है और यह निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य में आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत रिहा कर दिया जाए।

63. अंतरिम आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

64. निचली अदालत के अभिलेखों को तुरंत निचली अदालत को वापस कर दिया जाए।

(जितेन्द्र कुमार, न्यायमूर्ति)

रविशंकर/
चंदन-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।